78

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालयः—माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /15 निगरानी निगरानी 442-I-15

श्री एस.पी. च्वावड़े एड. द्वारा आज दि. 27-2-15 को प्रस्तुत

27-2-15

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

गुरूशरण पुत्र अशोक कुमार बाहम्ण निवासी ग्राम पण्डोखर तह. भाण्डेर दतिया म.प्र.

——— आवेदक

बनाम

1. मैथलीशरण राजपूत पुत्र गोटीराम राजपूत निवासी ग्राम पंण्डोखर तह. भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.
2. म.प्र. शासन नायब तह. भाण्डेर जिला दतिया म.प.

——— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायव तहसीलदार भाण्डेर जिला दतिया के प्र.क. 01/अ—68/14—15 में पारित आदेश दिंनाक 19.02.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

श्रीमान् की सेवा में निगरानी आवेदन पत्र सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है।

27.2.15

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भाण्डेर जिला दतिया के प्रक. 01/अ—68/14—15 में पारित आदेश विधि विधान एंव क्षेत्राधिकार बाहय तथा नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

2. यह कि, भूमि स्थित ग्राम पण्डोखर के सर्वे क. 839 में से रकवा 2 है. में से आबादी ग्राम पण्डोखर एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क. 08 दिनांक 19.09.2009 से वृक्षारोपड़, यज्ञशाला 1111 कुण्डीयज्ञ वर्ष 2013 में विशाल भण्डारा किया गया है। एवं वृक्षारोपड़, बॉन्ड्रीबॉल, सार्वजनिक हैण्डपंप, शांसकृतिक कार्यकम, जैसे श्रीमदभागवत् कथा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। एवं रामलीला कार्यक्रम किया जाता रहा है। उक्त कार्यकम के दौरान वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, पण्डोखर सरकार के नाम से हर माह अमावस्या से पंचमी तक नियमित रहता है। उक्त प्राचीन हनुमानजी का मंदिर है। जो पांडवो से जुडी जनश्रोती मान्यता है। इस कारण आवेदक उक्त कार्यकम में सम्पूर्ण भक्तगणों को साथ लेकर आयोजन किया करते है। परंतु आवेदक द्वारा पंचायत में भाग लेने की वजह से सरपंच का अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने की वजह से रंजिस मानने लगा है। उक्त आधार पर एक फर्जी शिकायत नायब तहसीलदार भाण्डेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त शिकायत के आधार पर प्रकरण कायम किया गया। जिसके आधार पर प्रकरणं में पेशी दिनांक 14.01.2015 नियत की गई। जिसमें आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया। एवं पेशी दिनांक 23.01.2015 को बिना सूचना के एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पटवारी के कथन अंकित किए गए। तथा प्रकरण में आगामी पेशी नियत कर पटवारी से रिपोर्ट चाही गई। परंतु प्रकरण में पटवारी से रिपोर्ट दिनांक 21.01.2015 को प्रस्तुत की जा चुकी है। फिर प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु पेशी नियत की गई।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी/442–एक/15 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
24.12.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस पी धाकड उपस्थित अनावेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 01/अ–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.2.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/02/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/2/19 **कलेक्टर जिला दतिया**	